1\36

15380
1.11.1

द्वारा फैक्स/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स

परिवहन एवं आयुध इकाई, चतुर्थ तल, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
फैक्स नम्बर–0522–2288824 ई–मेल–*logisticoffice4@gmail.com*

संख्या : लाजि0/आरमोरर–दस–560–97 दिनांक अक्टूबर 26 , 2017

सेवा में,

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   लखनऊ/कानपुरनगर/आगरा/मेरठ/औरैया/सोनभद्र/मुजफ्फरनगर/संतरविदासनगर(भदोहीं)/मिर्जापुर/फतेहगढ़/सुल्तानपुर/बलिया/बाराबंकी।
2. पुलिस अधीक्षक, रेलवेज लखनऊ।
3. सेनानायक,
   30वीं वाहिनी पीएसी गोण्डा/6वीं वाहिनी पीएसी मेरठ/ 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर/28वीं वाहिनी पीएसी इटावा/33वीं वाहिनी पीएसी झॉसी।

विषय :बी0एस0एफ0 का आरमोरर कोर्स लेबल–2 उत्तीर्ण मुख्य आरक्षी आरमोरर की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन।

––

कृपया अवगत कराना है कि "उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2016" के संगत प्राविधानो के अनुसार मुख्य आरक्षी आरमोरर से उप निरीक्षक आरमोरर के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही किये जाने हेतु बी0एस0एफ0 का आरमोरर कोर्स लेबल–2 उत्तीर्ण 19 मुख्य आरक्षी आरमोररों की सूची प्रेषित की जा रही है।

2– अवगत कराना है कि "**उत्तर प्रदेश पुलिस आरमोरर शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली–2016**" में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपनिरीक्षक आरमोरर की शत प्रतिशत रिक्तियां प्रोन्नति द्वारा बोर्ड के माध्यम से ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को अस्वीकृत करते हुए ऐसे आरक्षी आरमोररो से भरी जायेगी जोः–

1–चयन वर्ष की प्रथम जुलाई को मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिये हों।

2–सेना का आरमोरर ग्रेड–2 कोर्स उत्तीण हों ।

3–वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाया गया हो।

3– सेना का बेसिक कोर्स ग्रेड–2 अथवा उसके समकक्ष बी0एस0एफ0 के आरमोरर कोर्स लेवल–2 उत्तीर्ण 19 मुख्य आरक्षी आरमोररो की पात्रता सूची उ0प्र0 पुलिस की बेब साइट ***http:/uppolice.gov.in*** पर प्रदर्शित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सर्व संबंधित को ई मेल से भी भेजी जा रही है। कृपया उक्त मुख्य आरक्षी आरमोररो की पात्रता सूची डाउन लोड कर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा जाए।

4– इसी कम में पात्रता सूची में अंकित बी0एस0एफ0 के आरमोरर कोर्स लेवल–2 उत्तीर्ण 21 मुख्य आरक्षी आरमोररो के सेवा अभिलेख/बोर्ड प्रपत्र–32 में वांछित सूचनायें एक सप्ताह में नियमानुसार अद्यावधिक कर प्रत्येक दशा में दिनांक 07.11.2017 तक

HC-TS

अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश
31.X.2017

1/c वेबसाइट
31/x/17
HCTS

सम्बन्धित जनपद/पीएसी/इकाईयों के सी0आर0के0 के माध्यम से लाजिस्टिक कार्यालय चतुर्थ तल जवाहर भवन लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(1) भर्ती/चयन वर्ष 2016 की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित वर्ष 2012 तक के आरक्षी आरमोररो का विवरण वोर्ड प्रपत्र–32 में वर्ष 2006 से 2015 तक के सेवा अभिलेखो की प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट आफ डेट 01.07.2016 होगी। वोर्ड प्रपत्र 32 को भरने हेतु दिशा निर्देश वोर्ड की वेव साइट–*www.uppolice.gov.in* के होम पेज पर उपलब्ध लिंक प्रोन्नति से संवंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध है, और वहाँ से डाउन लोड किये जा सकते है। **(बोर्ड प्रपत्र–32 एंव सूचनाओ को भरने हेतु दिशा निर्देश की प्रति संलग्न है)**

(2) मुख्य आरक्षी आरमोरर की चरित्र पंजिकाए एंव वोर्ड प्रपत्र–32 में सूचनाएं संवंधित जनपद/इकाईयों के प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, एंव प्रभारी इकाई के जो पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से कम न हो के हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराये जायेगें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि किसी कर्मी का 02 वर्ष या अधिक वर्षो का रिमार्क एक साथ नही लिखा होना चाहिए। यदि किसी भी कर्मी का 02 या 02 से अधिक वर्षो का रिमार्क एक साथ लिखा हुआ पाया जायेगा तो इस कार्यालय में किसी भी दशा में स्वीकार नही किया जायेगा। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि वर्ष– 2006 से 2015 तक प्रत्येक वर्ष की वार्षिक प्रविष्टि अलग–2 लिखी होनी चाहिए ।

(3) कतिपय आरक्षी आरमोररों के विरूद्व अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जांच एजेन्सी द्वारा **"ओवर लुक"** हो जाने के कारण उनके संवंध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नही हो पाते हैं। अतः इस सम्बन्ध में संलग्न सूची के अनुसार वर्ष 2012 तक के मुख्य आरक्षी आरमोररों से स्वघोपित घोषणा पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरूद्व आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय मे विचाराधीन नही है और न ही उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियो की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण स्वघोषणा पत्र में अंकित करा लिया जाय **स्वघोषणा–पत्र का प्रारूप संलग्न है।**

(4) यदि स्वघोषणापत्र में सम्बन्धित आरक्षी आरमोररो द्वारा कोई अभियोग/विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद/जॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र–32 के निर्धारित कालम में किया जाय। साथ ही सभी आरक्षी आरमोररो के स्वघोषित घोषणा–पत्र भी वोर्ड प्रपत्र–32 के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराये जांय।

(5) जिन जनपदो/इकाईयो से चरित्र पंजिकाऐ एवं बोर्ड प्रपत्र–32 की सूचनाएं उपलब्ध करायी जायेगी, उसके कवरिंग लेटर पर सीओ आफिस, प्रधान लिपिक एवं सी0आर0के0 के मोवाइल नम्बर/सी0यू0जी0 नम्बर जो उपलब्ध हो अंकित किये जाय।

(6) सम्बन्धित आरक्षी आरमोररो की चरित्र पंजिकाए एवं बोर्ड प्रपत्र–32 मे सूचनाएं व स्वघोपित घोषणा–पत्र 03–03 प्रतियॉ में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सीडी सहित तैयार कर अपने पास रखना सुनिश्चित करते हुए दिनांक 07.11.2017 तक निम्न प्रारुप में सूचना लाजिस्टिक कार्यालय चतुर्थ तल जवाहर भवन, को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

प्रारूप

क. सं.	जनपद/इकाई का नाम	पात्रता सूची में मुख्य आरक्षी आरमोरर की संख्या	निर्देशानुसार तैयार कर्मियो की चरित्र पंजिका की संख्या	निर्देशानुसार बोर्ड प्रपत्र–32 मे सूचना तैयार कर्मियो की संख्या
1	2	3	4	5

5– अतः अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समय सीमा के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

(एस0के0 शुक्ला)
अपर पुलिस अधीक्षक,
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक–लाजिस्टिक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. पुलिस महानिरीक्षक–स्थापना, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर सचिव, उ0प्र0 पुलिस एंव भर्ती एंव प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को संशोधित वरिष्ठता सूची संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत मामले में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. पुलिस अधीक्षक, सी0बी0सी0आई0डी0/ए0सी0ओ0/ई0ओ0 डब्लू0/सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0, लखनऊ को 19 मुख्य आरक्षी आरमोररों की पात्रता सूची संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि सूची में सम्मिलित कार्मिकों के विरूद्ध यदि कोई विभागीय कार्यवाही/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो उनके सम्बन्ध में सूचना एक सप्ताह के अन्तर्गत लाजिस्टिक्स कार्यालय, जवाहर भवन, चतुर्थ तल, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःसूची।

संख्या तथा दिनांक वही ।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ को आरक्षी आरमोरर की संशोधित वरिष्ठता सूची पीडीएफ तथा एक्सल फाइल में एंव बोर्ड प्रपत्र–32 तथा उसे भरने के निर्देश की साफ्ट कापी संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इसे पुलिस की बेबसाईट http://uppolice.gov.in पर अप लोड करने का कष्ट करें।

26.10.18

(एस0के0 शुक्ला)
अपर पुलिस अधीक्षक,
नि0 अपर पुलिस महानिदेशक–लाजिस्टिक,
उत्तर प्रदेश।

नोट–

1– उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 Fonts में ही तैयार की जाये।

2–एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जायें।

3–एक ही cell मे नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाये।

उपनिरीक्षक आरमोरर के पद पर प्रोन्नति हेतु मु0आरक्षी आरमोररों की पात्रता सूची निम्नवत् है:-

कमांक	पीएनओ नम्बर	मु0आरक्षी आरमोरर का नाम	नियुक्ति स्थान
1	792810359	MANGAL SINGH KUSHVAH	KANNAUJ
2	782320831	MUMTAZ AHMED	SBR
3	782050154	RAMASHANKAR RAM	BHADOI
4	780440124	SABIR KHAN	KNR
5	770600947	CHANDRAKA PRASAD YADAV	30 PAC GDA
6	782650497	BHOOPAT SINGH	MZR
7	800590318	NARAYAN DAS	28 PAC EWH
8	770530165	SHATRUGAN PRASAD PANDEY	LKW
9	792250124	ASHOK KUMAR PANDEY	BALLIA
10	782390564	RAMKISHOR	KNR
11	790630135	MODYASHIN	33 PAC JSI
12	790500227	BABU RAM	11 PAC STP
13	790570080	RAMSHANKAR SINGH	G.R.P LKO
14	822013963	MANIKCHANDRA	AGRA
15	792480602	RAM NIWASH TYAGI	MRT
16	790500041	VIRENDRA BAHADUR SINGH	STR
17	802762263	MAHANT RAM	MZR
18	802736129	VIDYASAGARYADAV	BBK
19	792240615	RAMSEWAK	6th BN MRT

T.K.singh letter

बोर्ड प्रपत्र-32 भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

<u>महत्वपूर्ण :-</u> "बोर्ड प्रपत्र-32" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय।

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र0सं0 अंकित की जायेगी। क्र0सं0 आरोही क्रम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम मे अभ्यर्थी से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमांक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम मे अभ्यर्थी का पी0एन0ओ0 अंकित किया जायेगा।
4	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखो के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखो के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखो के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मुख्य आरक्षी आरमोरर
8	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति का जनपद/इकाई का नाम अकित किया जायेगा।
9	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिक्षेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में अभ्यर्थी की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा।
11	इस कालम में अभ्यर्थी की मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि अंकित की जायेगी। <u>मौलिक नियुक्ति -</u> का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
12	इस कालम में अभ्यर्थी के सेना का आरमोरर ग्रेड–2 कोर्स उत्तीर्ण करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
13	इन कालमों में अभ्यर्थी के वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होने का विवरण अंकित किया जायेगा।
14	
15	<u>सेवा अवधि-</u> का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी
16	
17	
18	इन कालमों में क्रमशः भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षो के वार्षिक गोपनीय मंतव्यो की अवधि एव वार्षिक गोपनीय मतव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी। उदाहरणार्थ : यदि किसी अभ्यर्थी का वर्ष 2015 का वार्षिक गोपनीय मतव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:- 2015- 01-01-2015 से 30-06-2015 उत्कृष्ट 01-07-2015 से 31-12-2015 उत्कृष्ट
19	
20	
21	
22	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मंतव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनाक अंकित किया जायेगा।
23	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनाक अंकित किया जाय।
24	इस कालम मे अभ्यर्थी के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत

25	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षो की सत्यनिष्ठा की निम्नांकित श्रेणी अंकित की जायेगी:- प्रमाणित अथवा रोकी गई
26	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा रोकी गई है तो उससे अभ्यर्थी को ससूचित करने दिनांक अंकित किया जायेगा।
27	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित जायेगा ।
28	इस कालम में अभ्यर्थी के रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरूद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान रि अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
29	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
30	इसमे दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
31	इसमे घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
32	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि।
33	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
34	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
35	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
36	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
37	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
38	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- अर्थदण्ड, परिनिन्दा प्रविष्टि आदि।
39	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन /अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
40	इसमें दण्डादेश के विरूद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी । जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
41	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: न-39/2016 दिनांक 28-09-2017
42	इसमे निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
43	इसमें अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ:मु0अ0सं0- 234/96, धारा 323/324 भादवि, थाना-गाजीपुर, लखनऊ
44	इसमे आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
45	इसमें यदि न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 नं0-399/98 पर विचारा जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30-10-2017 नियत है।
46	इसमें जॉच सगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे- विभागीय, सी0बी0सी0आई0डी0 आदि।
47	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।

48	इसमें अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनाक अंकित किया जायेगा।
49	इसमें अभ्यर्थी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकरण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: निलम्बन आदेश दिनांक 28-10-2017 अग्रिम आदेशों तक स्टे है।
50	इसमें वाद संख्या एवं मा0 न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थ: मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2017, दिनांक 30-10-2017

<u>सामान्य निर्देश :-</u>

1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम मे कोई सूचना अंकित नही की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।

2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फान्ट मे ही तैयार की जाय।

3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।

4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।

5- उपर्युक्त सूचनायें मात्र बोर्ड प्रपत्र को भरने के लिये मार्गदर्शन हेतु हैं। अतः अद्यावधिक सूचना सेवाभिलेखों एव लॉजिस्टिक (परिवहन एवं आयुध इकाई), उ0प्र0, लखनऊ के दिशा–निर्देश के आधार पर भरी जायेंगी।

6- एक पृष्ठ पर एक अभ्यर्थी की ही सूचना अंकित की जायेगी।

7- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(2

प्रारूप 'क' स्वघोषणा–पत्र

मैं..............................(नाम / पदनाम............................ व ....पीएनओ)............पुत्र...........निवासी.......... .थाना...............जनपद................वर्तमान में(जनपद / इकाई)..................में नियुक्त हूँ तथा घोषित करता कि:–

(1)" मेरे विरूद्व उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड एंव अपील नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित / प्रचलित नही है तथ कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नही है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

(2) उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मे पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्व स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्ग नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी । यह घोषणा–पत्र मे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपे पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम / पदनाम / पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान / दिनांक

(3) यदि सम्बन्धित आरक्षी आरमोरर के विरूद्व उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियें / कर्मचारियं की (दण्ड एंव अपील)नियमावली–1991 के नियम–14(1)के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाह लम्बित / प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है तो उसका पूए विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा।

(क) मेरे विरूद्व उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड एंव अपील)नियमावली–1991 के नियम– 14(1)के अन्तर्गत जनपद / इकाई ...... में कार्यवाही लम्बित है, जिसमे दिनांक .'..........को आरोप पत्र दिया गया है।

(ख) मेरे विरूद्व मु0अ0सं0............................धारा ..'....................................थाना..........जनपद..'............. में लम्बित है, जिसमें दिनांक ....को स्थानीय पुलिस अथवा जांच एजेन्सी ....द्वार आरोप –पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में........................ स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम / पदनाम / पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान / दिनांक

प्रमाणित

जनपद / इकाई के प्रभारी
नाम / पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट(x)दिया जाय।

मुख्य आरक्षी आरमोरर से उप निरीक्षक आरमोरर के पद पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति हेतु चयन के लिये पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी का सेवा विवरण
भर्ती/रिक्ति का वर्ष-2016

क्रम0	ज्येष्ठता सूची का क्रमांक	पीएनओ	कर्मी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	कैडर	वर्तमान तैनाती: जनपद/इकाई	वर्तमान तैनाती: परिक्षेत्र/अनुभाग	भर्ती की तिथि	मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	सेना का आरमोरर ग्रेड-2 कोर्स उत्तीर्ण करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	123	802110772	रामकेवल कुशवाहा	भवानी प्रसाद	04-11-1958	मुख्य आरक्षी आरमोरर	लखनऊ	लखनऊ	20-09-1980	20-10-1988	22-11-2004

वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होने का विवरण: वर्ष	सफल/असफल	मुख्य आरक्षी आरमोरर के पद की सेवा अवधि (चयन वर्ष 2016 के लिये): वर्ष	माह	दिन	वार्षिक गोपनीय मन्तव्य (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये): वर्ष	कब से	कब तक	वार्षिक गोपनीय मन्तव्य की श्रेणी	प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करने का दिनांक	प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	सत्यनिष्ठा (भर्ती/रिक्ति के वर्ष से पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये): सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा संसूचित करने का दिनांक	अप्रमाणित सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
2006	सफल	27	8	12	2006	1-1-06	31-12-06	प्रतिकूल	3-2-07	18-2-07	अस्वीकृत	अप्रमाणित	3-2-07	18-2-07	अस्वीकृत
2007	सफल				2007	1-1-07	31-12-07	अतिउत्तम	-	-	-	प्रमाणित	-	-	-
2008	सफल				2008	1-1-08	31-12-08	अच्छा	-	-	-	प्रमाणित	-	-	-
2009	सफल				2009	1-1-09	31-12-09	अच्छा	-	-	-	प्रमाणित	-	-	-
2010	सफल				2010	1-1-10	31-12-10	संतोषजनक	-	-	-	प्रमाणित	-	-	-
2011	सफल				2011	1-1-11	31-12-11	अतिउत्तम	-	-	-	प्रमाणित	-	-	-
2012	सफल				2012	1-1-12	31-12-12	उत्तम	-	-	-	प्रमाणित	-	-	-
2013	सफल				2013	1-1-13	31-12-13	उत्कृष्ट	-	-	-	प्रमाणित	-	-	-
2014	सफल				2014	1-1-14	31-12-14	उत्कृष्ट	-	-	-	प्रमाणित	-	-	-
2015	सफल				2015	1-1-15	30-06-15	उत्कृष्ट	-	-	-	प्रमाणित	-	-	-
2016	सफल				2015	1-7-15	31-12-15	उत्कृष्ट	-	-	-	प्रमाणित	-	-	-

दीर्घ दण्ड- नियम-14(1) (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये): दण्डादेश की संख्या	दण्डादेश का दिनांक	घटना का वर्ष	दण्ड की प्रकृति (पदच्युत करना/सेवा से हटाना/वेतनमान में अवनति)	दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	लघु दण्ड- नियम-14(2) (भर्ती/रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये): दण्डादेश की संख्या	दण्डादेश का दिनांक	घटना का वर्ष	दण्ड की प्रकृति (परिनिन्दा प्रविष्टि/अर्थदण्ड आदि)	दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
पीएफ-04/10	9-4-10	2009	03 वर्षों के लिये न्यूनतम वेतन पर प्रत्यावर्तित	25-4-10	अपील अस्वीकृत	1-द-15/06	17-8-06	2006	परिनिन्दा	26-9-06	स्वीकृत दि0 4-11-06
						2-द-78/07	4-4-07	2006	अर्थदण्ड	-	-
						3-द-35/08	9-5-08	2008	परिनिन्दा	-	
						4-द-44/10	18-9-10	2010	परिनिन्दा	-	
						5-द-59/11	30-5-11	2011	अर्थदण्ड	-	

वर्तमान निलम्बन: आदेश संख्या/दिनांक	निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	लंबित आपराधिक प्रकरण: अपराध संख्या/धारा/थाना/जनपद	न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किये जाने का दिनांक	न्यायालय का निर्णय व दिनांक	प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही/जांच (विभागीय/सीबीसीआईडी/आई0टी/प0नि0म0/ई0ओ0डब्लू0/सतर्कता आदि0): जांच संगठन का नाम	आरोप का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक	अभ्यर्थी के दण्ड/अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोग/प्रोन्नति आदि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय/अधिकरण के आदेश: आदेश का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 20 शब्दों में)	वाद संख्या एवं आदेश का दिनांक
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
न-39/16 दि0 28-09-17	अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण	234/96 धारा 323/324 आदि थाना-गाजीपुर, लखनऊ	2-2-05	वाद मा0 न्यायालय एडीजे-5 लखनऊ के यहां एस0टी0 न0-399/98 पर विचाराधीन है जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 30-10-17 नियत है।	विभागीय नियम-14(1)	अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में	31-3-17	निलम्बन आदेश दि0 28-10-17 अग्रिम आदेश तक स्टे है।	मा0उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच रिट याचिका सं0 3570(एस/एस)/2017 दि0 30-10-17

नोट-
1-उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 Fonts में ही तैयार की जाये।
2-एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाये।
3-एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+ Enter का प्रयोग किया जाये।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, लॉजिस्टिक्स
उ0प्र0 लखनऊ।
नाम, पदनाम की मुहर सहित